

57/2015
सीसीके-2/कना-390
89(4)

ए.ए.

0.1. 2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.5.16	<p>उभयपक्ष के वकील 390/ पूर्व अहकाम की शूलना की जाकर पत्रावली दिनांक 10-6-16 को पेश हो।</p> <p>(किशोर कुमार) जज क्लर्क, अजमेर</p>	
10-6-16	<p>पीठासीन अधिकारी के आज राजकीय न्यायालय से बाहर/अवकाश पर होने से पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु दिनांक 14-7-16 को पेश हो।</p> <p>(किशोर कुमार) जज क्लर्क, अजमेर</p>	
14-7-16	<p>उभयपक्ष/प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित। बार एसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगित रहे। पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु दिनांक 17-8-16 को पेश हो।</p> <p>(किशोर कुमार) जज क्लर्क, अजमेर</p>	
17-8-16	<p>उभयपक्ष के वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार ने प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मृतक व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थी संख्या 1 धन्ना पुत्र काना की मृत्यु प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही हो चुकी थी। मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जावे।</p> <p>वकील प्रार्थी ने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेकर प्रकरण का विधि अनुरूप निस्तारण किया जावे।</p> <p>हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी थी। मृत व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का वाद/प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अनेक न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक के जायन्दा विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुए नये सिरे से 90 दिन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम होकर संग्रह भण्डार हो।</p> <p>(किशोर कुमार) जज क्लर्क, अजमेर</p>	